



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 212]
No. 212]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2006/वैशाख 29, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2006/VAISAKHA 29, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2006

सा का नि. 296(अ)।—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 की अनुसूची में,

(i) स्तम्भ (1) में, 'पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़' से संबंधित क्रम संख्यांक 11, 17, 29 और 35 के सामने स्तम्भ (1) में "425, 475, 325 और 25" अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "638, 713, 488 और 38" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ii) स्तम्भ (1) में, 'आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़' से संबंधित क्रम संख्यांक 1, 5, 6, 7, 8 और 27 के सामने स्तम्भ (3) में "575, 375, 1125, 725, 875 और 400" अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "863, 563, 1688, 1088, 1313 और 600" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(271)/2001-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव और सरकारी काउंसिल

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001 और सा.का.नि. 467(अ), तारीख 9 जून, 2003 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2006

G.S.R. 296(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries rules, 1956, in the Schedule.

(i) in column (1) against serial numbers 11, 17, 29 and 35 relating to 'Punjab, Haryana, Delhi and Chandigarh', in column (2), for the figures "425, 475, 325 and 25", the figures "638, 713, 488 and 38" shall respectively be substituted.

(ii) in column (1), against serial numbers 1, 5, 6, 7, 8 and 27 relating to 'Andhra Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra and Chhattisgarh', in column (3), for the figures 575, 375, 1125, 725, 875 and 400, the figures "863, 563, 1688, 1088, 1313 and 600" shall respectively be substituted.

[F. No. 5(271)/2001-NC]

R. RAGHUPATHI, Jt. Secy. and Government Counsel

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E), dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E), dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E), dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E), dated the 12th March, 2001 and G.S.R. 330(E), dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E), dated the 25th June, 2001 and G.S.R. 464(E), dated the 9th June, 2003.